

भोपाल, दिनांक 3/08/2006

एफ 15-24/06/10-2: राज्य शासन वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5 (2) के अंतर्गत वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में गति लाने के उद्देश्य से संलग्न सूची अनुसार अधिकारों एवं शक्तियों को क्षेत्रीय अधिकारियों के पक्ष में एतद् द्वारा प्रत्यायोजित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(मीनाक्षी मालवीय)

अवर सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 3/08/2006

पृ. क्र.एफ 15-24/06/10-2

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान. वन एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश
2. निज सहायक, मान. राज्य वन मंत्री मध्यप्रदेश
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, मध्यप्रदेश
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
8. समस्त वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश
9. वन संरक्षक, वन्यप्राणी, इंदौर, ग्वालियर, वन संरक्षक, वन्यप्राणी, एवं क्षेत्र संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल
10. वन संरक्षक, क्षेत्रीय मध्यप्रदेश
11. समस्त वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय मध्यप्रदेश
12. समस्त अधीक्षक, अभयारण्य मध्यप्रदेश
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

**वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5(2) के अंतर्गत
शक्तियों का प्रत्यायोजन**

क्र.	धारा	शक्ति/दायित्व का विवरण	जिस अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाना है उसका पदनाम	प्रत्यायोजन की सीमा	विशेष
1	धारा 11(1) b	अनुसूची ii,iii, एवं IV विनिर्दिष्ट वन्य पशु के मानव जीवन या सम्पत्ति के लिए खतरनाक बन जाने पर या अशक्त या रोग ग्रस्त हो जाने पर उसे मारने की अनुमति देना।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)		
2	धारा 17-C	विनिर्दिष्ट पौधों की खेती करने हेतु अनुज्ञा जारी करना।	वन मंडलाधिकारी/ संचालक/ उप संचालक		
3	धारा 17- D	विनिर्दिष्ट पौधों के व्यापार हेतु अनुज्ञा जारी करना।	वन मंडलाधिकारी/ संचालक/ उप संचालक		
4	धारा 27 (b)	अभ्यारण्य के अंदर रहने की अनुमति देना।	वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक		
5	धारा 28 (b), (d), (e)	(b) फोटोग्राफी (d) पर्यटन (e) मृग वन में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से वैधानिक व्यापार का सौदा करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करना	वन संरक्षक/ क्षेत्र संचालक		
6	धारा 31	हथियार के साथ अभ्यारण्य में प्रवेश करने की अनुमति देना।	वन मंडलाधिकारी/ संचालक/ उप संचालक		
7	धारा 33	अभ्यारण्यों पर नियंत्रण	वन संरक्षक/संचालक		
8	धारा 34 (1) एवं (2) & (3)	शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों के पंजीयन का अधिकार -	वन मंडल अधिकारी /संचालक/ उप संचालक/ अधीक्षक		
9	धारा 39(2)	प्राप्त शासकीय संपत्ति की सूचना प्राप्त करने एवं संपत्ति का समर्पण स्वीकार करने के लिये अधिकृत अधिकारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी/ (क्षेत्रीय/रा.उ./अभ्या.)/वन विकास निगम।		
10	धारा 39(3)	शासकीय संपत्ति प्राप्त करने, रखने, स्थानान्तरित एवं हस्तांतरित करने की अनुमति	वन संरक्षक		

क्र.	धारा	शक्ति/दायित्व का विवरण	जिस अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाना है उसका पदनाम	प्रत्यायोजन की सीमा	विशेष
		देने के लिए अधिकृत अधिकारी			
11	धारा 40 (1) एवं (4)	वन्यप्राणी सामग्री की घोषणा प्राप्त करने के लिये अधिकृत अधिकारी	वन मंडल अधिकारी		
12	धारा 40 (2)	उप धारा में वर्णित सामग्री की प्रप्ति, क्रय विक्रय, स्थानान्तर/हस्तान्तरण की अनुमति देने के लिए अधिकृत अधिकारी	वन मंडल अधिकारी		
13	धारा 40 (2-B)	उत्तराधिकार से प्राप्त सामग्री की घोषणा प्राप्त करने के लिये अधिकृत अधिकारी	वन मंडल अधिकारी		
14	धारा 41 (1)	जाँच करने के लिये अधिकृत अधिकारी	वनपाल से अनिम्न अधिकारी		
15	धारा 42	अधिपत्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिय अधिकृत अधिकारी	वन संरक्षक		
16	धारा 43	अन्य राज्यों से प्राप्त वन्यप्राणी सामग्री की सूचना प्राप्त करना	वन मंडलाधिकारी		
17	धारा 44	वन्यप्राणी ट्राफी एवं अन्य सामग्री के व्यापार की अनुज्ञा देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी	वन संरक्षक		
18	धारा 45	धारा 44 में जारी अनुज्ञप्ति का निलंबन	वन मंडलाधिकारी		
19	धारा 49-B (4) (R)	अनुसूची I एवं अनुसूची II के भाग II के वन्यप्राणी या सामग्री की टैक्सीडर्मी की अनुमति देना।	वन संरक्षक		
20	धारा 49-C	व्यवसायियों से घोषणा प्राप्त करना एवं अन्य राज्यों से लाई गई वन्यप्राणी सामग्री की सूचना प्राप्त करना।	वन मंडल अधिकारी		
21	धारा-50(4)	गिरफ्तार व्यक्ति या जप्त की गई सामग्री की सूचना प्राप्त करना।	वन मंडल अधिकारी		

धारा	शक्ति/दायित्व का विवरण	जिस अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाना है उसका पदनाम	प्रत्यायोजन की सीमा	विशेष
22	धारा-50(6)	धारा 50 में जप्त की गई सामग्री का निवर्तन।	वन मंडल अधिकारी उप वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय)/सहायक संचालक/ अधीक्षक(रा.उ./अभ्यारण्य)/ उप प्रबंधक वन विकास निगम	अनुसूची-एक अन्य अनुसूची
23	धारा 50(8)	अपराधों की जाँच, गवाहों को बुलाने आदि संबंधित सभी शक्तियाँ जो इस उप धारा में उल्लेखित हैं।	समस्त उप वन मंडलाधिकारी / अधीक्षक अभ्यारण्य/ संचालक रा.उ./ उप प्रबंधक वन विकास निगम।	
24	धारा 54	अपराधों का प्रशमन	समस्त वन मंडल अधिकारी/ उप संचालक रा.उद्यान/ प्रबंधक वन विकास निगम	
25	धारा 55(b)	न्यायालय द्वारा अपराधों का सज्ञान-जिस अधिकारी की शिकायत पर लिया जाना (b) न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करना।	वन परिक्षेत्र अधिकारी / उप निरीक्षक पुलिस से अनिम्न अधिकारी	
26	धारा-58 D	सक्षम प्राधिकरण	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त
27	धारा-58 E	अवैध रूप से प्राप्त सम्पत्ति की पहचान।	DIG (CID)	—"
28	धारा-58 G	जप्त संपत्ति का प्रशासक.	समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)	—"
वन्यप्राणी (लेन देन और पशुओं की खाल में मसाला लगाने की कला) केन्द्रीय नियम, 1973				
नियम 2 (d)	पदाधिकारी के समस्त दायित्व	समस्त वन मंडलाधिकारी या उप संचालक राष्ट्रीय उद्यान या उनके उच्चाधिकारी।		